

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी
बृहस्पतिवार, 09 जुलाई, 1998 / आषाढ 18, 1920 शक

संख्या : 416

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित धाना अध्यक्ष,
विकासपुरी, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 6.7.1998 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा को उनके 85 समर्थकों के साथ पुलिस धाना, विकास पुरी, नई दिल्ली से पुलिस के विधिसम्मत निर्देशों का पालन न करने पर दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा-65 के अंतर्गत 5 जुलाई, 1998 को अपराह्न 12.30 बजे नज़रबन्द किया गया।

उन्हें उनके समर्थकों सहित उसी दिन यानी 5.7.98 को अपराह्न 12.40 बजे रिहा कर दिया गया।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

No.416

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from the S.H.O., Vikas Puri, New Delhi on 06.07.1998 :-

" I have the honour to inform you that Shri Mukesh Sharma, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Police Station, Vikas Puri, New Delhi at 12.30 P.M. on 05.07.1998.

He alongwith his supporters was released at 12.40 P.M. on the same day i.e.05.07.1998."

P.N. GUPTA
SECRETARY